राज्यै सभा

अतारांकित प्रश्नआंख्यां 450

27 अप्रैल, 2016 को उत्त र के लिए

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के लिए पर्याप्त लौह अयस्क खानें आबंटित किया जाना

450. डॉ. के. वी. पी. रामचन्द्र राव:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के लिए पर्याप्त लौह अयस्क खानें आबंटित करने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार विज़ाग संयंत्र की मांग को पूरा करने के लिए स्वत: ही लौह अयस्क खानें आबंटित करने पर विचार करेगी?

उत्तकर

इस्पा ात और खान राज्यी मंत्री (श्री विष्णुस देव साय)

(क): जैसा कि खान मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि विशाखापट्टनम इस्पाईत संयंत्र को पर्याप्तम लौह अयस्क खानें आवं टित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ता व प्राप्तआ नहीं हुआ है।

(ख): उपरोक्तौ (क) के मद्देनजर प्रश्नि नहीं उठता।

(ग): माइन्सत एण्डत मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्यूठलेशन) एक्टप1957 जिसे माइन्सो एण्डन मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्यूएलेशन) अमेंडमेंट एक्टव2015 से संशोधित किया गया है , के अनुसार राज्यह सरकारों को अधिनियम की धारा 10ए के अंतर्गत नीलामी विधि के जरिये अथवा धारा 17ए (2ए) के अंतर्गत आरक्षण रूट के जरिये खनन पट्टे प्रदान करने की शक्तियॉ प्रदान की गई है। अत: नये खनन पट्टे का आवंटन संशोधन अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के मुताबिक विनियमित किया जाना है।

***